

न हॉप्रो सॉ

145

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

कृष्ण कुमार मांझी

बनाम

टि टलर गंझु की

M-62/2018 आदेश पत्रक

अभिलेख संख्या :- एम. 62 / 2018 धारा :- 107 द. प्र. स.

(थाना प्रमारी खूँटी) उपर शमादी के आवेदन द्वारा
के अप्रस्थमिकी संख्या (आवेदन द्वारा)


क पत्रांक - 357 दिनांक - 21/4/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- मेरे जमीन पर
को हड़पने और बीस लाख रुपये राहरी मॉर्गने
अथवा मकान को तोड़ने की धमकी शंभुमान
मारने की धमकी देते हैं।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या
विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक
परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल
दण्डाधिकारी, खूँटी .. उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0
स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना
निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए
उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों
के साथ दाखिल करने हेतु आदेश त्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 22/5/18 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

15-1/18

140
7/5/18

3/9/18

उप पक्ष उपस्थित / अगली तारीख
06.10.18 को रहे।

29

(R)
29.09.18

06.10.18

उप पक्ष उपस्थित। - अगली दिनांक प्रथम
पक्ष की गवाही के साथ 9.10.18 को रहे।

(R)
06.10.18

9/10/18

उप पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष के
वकालत उपस्थित एवं पक्षकार अनुपस्थित।
दोनों पक्षों की सहमति के फलस्वरूप वाद को
धारा 45 के तहत चलाने की अनुमति दी जाती है। उक्त
धारा के तहत दोनों पक्षों को नोटिस जारी करें।

(R)
09.10.18

5/11/18

26/11/18

वृत्तान्त को मांफी एवं अग्रोड लाइ
उपस्थित दिनांक 10/12/18 को रहे।

10/12/18

प्रथम पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष
अभीष्ट लाइ से अधिकतम उपस्थित। अगली
तारीख 15.12.18 को रहे।

(R)
10.12.18

15/12/18

प्रथम पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।
अगली तारीख 5.01.19 को रहे।

(R)
05.01.19

5/1/19

प्रथम पक्ष उपस्थित दिनांक 10/1/19
को रहे।